



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 22.06.2025

**थाना चांदीनगर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोज कर मोबाइल के स्वामियों को किया सुपुर्द ।**

### कार्यवाही

थाना चांदीनगर पर आवेदकों द्वारा मोबाइल के सम्बन्ध में दिये गये प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा गुम हुये 02 आवेदकों के मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया है ।

मोबाइल स्वामियों द्वारा थाना चांदीनगर पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



### मोबाइल मालिक का विवरण-

1. का० सुनील कुमार हाल तैनाती थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2. श्री शिवम उर्फ विनय पुत्र ईश्वर निवासी सांकलपुड्डी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 22.06.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 391/25 धारा  
115(2)/351/352/109(1) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया  
गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.06.2025 को थाना बडौत पर वादी सुरेश मलिक पुत्र श्री मालेराम निवासी ग्राम चांदनहेडी थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त आदित्य पुत्र मुकेश निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा अपने अन्य 03 साथियों के साथ मिलकर वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें फायर मिस होने से वादी बाल-बाल बच गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 391/25 धारा 115(2)/351/352 /109(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 391/25 धारा 115(2)/351/352 /109(1) बी.एन.एस. में वांछित 01

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

आदित्य पुत्र मुकेश उपाध्याय निवासी मोहल्ला खत्री गढ़ी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ०नि० श्री दिनेश पाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का० 970 रोहित थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-का० 989 ललित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 22.06.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 46 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 46 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुन्ना पुत्र बोबी निवासी ग्राम सूजती थाना दोघट जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- 46 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-का० 75 अंकुर मलिक थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-हो०गा० 548 रविन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना सिंघावली अहीर बागपत

दिनांक 22.6.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

#### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 223/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पुत्र ज्ञानी निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



### बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार अभियुक्त संजय का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 138/19 धारा 66 सी आईटी एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 83/24 धारा 147/148/323/427/504/506 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 223/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2.है0का0 622 दिनेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3.है0का0 155 अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4. का0 1027 रामकिश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

